न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : ब्रजेन्द्र जैन
आ.विविध (जमानत) प्रकरण सं. : 1146/2026

राहुल पुत्र श्री रामकिशन, उम्र–20 साल, निवासी–गांव सूरतगढ़ डेरा बामनवास, तहसील पुलिस थाना–थानागाजी, जिला अलवर। हाल सर्वे नम्बर 66–एफ, टीला नम्बर 06, जवाहर नगर, कच्ची बस्ती, पुलिस थाना जवाहर नगर, जयपुर।

.....प्रार्थी–अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य

———अप्रार्थी

(प्र.सू.रि.सं. 410/2026, थाना प्रताप नगर, जयपुर पूर्व,
धारा 303(2) बी.एन.एस.)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन आदेश

उपस्थिति :
1. श्री योगेश यादव, योग्य अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दिनेश कुमार कुमावत, योग्य लोक अभियोजक, वास्ते सरकार

आदेश **दिनांक 24.06.2026**

1. प्रार्थी–अभियुक्त राहुल की ओर से उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. में यह जमानत का आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 19.06.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है और उसका जमानत आवेदन धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–5, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा दिनांक 22.06.2026 को अस्वीकार कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा केस डायरी तलब कर अवलोकन किया गया।

2. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने अपने जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी दिनांक 19.06.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसका प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है, प्रकरण के शेष अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय

लगने की संभावना है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाए।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गम्भीरता एवं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उक्त तर्कों पर विचारपूर्वक मनन किया गया तथा अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में परिवादी धनंजय शर्मा द्वारा दर्ज करवायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी की स्कूटी नम्बर HR-35M-9447, जो कि श्रीमती पूनम शर्मा के नाम पंजीकृत है, को चुराकर ले जाने का आरोप है, प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध मामला धारा 303(2) बी.एन.एस. के तहत अनुसंधानाधीन है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा निम्नलिखित आपराधिक प्रकरण संस्थित हुए हैं :–

क्र.सं.	प्र.सू.रि.सं.	पुलिस थाना	धारा	नतीजा
1	76/2020	मालवीय नगर	379,34 भा0दं0सं0	चार्जशीट
2	1342/19	जवाहर सर्किल	379 भा0दं0स0	चार्जशीट
3	42/2020	मानसरोवर	379 भा0दं0सं0	चार्जशीट

5. यद्यपि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा उपरोक्त 03 अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए है, हम इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं समझते हैं, किन्तु स्वीकृत रूप से प्रार्थी–अभियुक्त 19.06.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं बरामदगी हो चुकी है, प्रकरण के शेष अनुसंधान व अन्वीक्षा सम्पन्न होने में समय लगना सम्भाव्य है, आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। हम ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणदोषों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं, अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदत्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. फलतः प्रार्थी–अभियुक्त राहुल की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. एतद्नुसार स्वीकृत

किया जाकर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 50,000/–रूपये का निजी मुचलका एवं उसकी सन्तुष्टि की 25,000–25,000/–रूपये की दो सुदृढ़ जमानतें (जिसमें जमानती के पहचान पत्र की प्रति पेश होगी) प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे, तो उसे इस प्रकरण में तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जाए।

(ब्रजेन्द्र जैन)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

7. आदेश आज दिनांक 24.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेन्द्र जैन)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

विजय/

VIJAY KUMAR ARORA

25.06.2026 13:21
"Stenographer Authenticated Document"